डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

पत्रांक: 140-23 /एनएलयू.लखनऊ/प्रशा0/एस–35/2639
दिनांक 31 जनवरी, 2023

सूचना

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित दूर किये जाने हेतु दिनांक 19.01.2023 से 27.01.2023 की अवधि में वेबसाईट scholarship.up.nic.in पर किये जाने का अवसर प्रदान किया गया है।

संदेहास्पद डाटा/त्रुटि को दूर किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशः–

1. जिन छात्र–छात्राओं का डाटा सस्पेक्ट लिस्ट में होगा, वही छात्र–छात्रायें करेक्शन कर सकेंगे।
2. सस्पेक्ट का कारण छात्र–छात्राओं को लॉगिन पर प्रदर्शित होगा।
3. यदि किसी छात्र–छात्रा का बैंक रिस्पांस नहीं आया है या बैंक रिस्पांस त्रुटिपूर्ण है, ऐसे छात्र–छात्रायें भी अपने आवेदन में बैंक विवरण को अपडेट कर सकेंगे।
4. छात्र–छात्राओं को आवेदन में करेक्शन करने के उपरान्त विश्वविद्यालय कार्यालय से सत्यापित कराकर विभाग को प्रेषित किये जाने पर ही करेक्शन मान्य होगा।
5. छात्र–छात्राओं द्वारा भरे गये परीक्षाफल संबंधी विवरण तथा विश्वविद्यालय स्तर पर मिलान के समय अंक समान होने चाहिये।

अतः समस्त छात्र–छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त दिये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.01.2023 तक आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों को दूर करके पुनः आवेदन आनलाईन सबमिट करते हुये सम्बन्धित प्रपत्र (स्वप्रमाणित) आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ संलग्न कर ई–मेल आई0डी0 scholarship@rmlnlu.ac.in पर/प्रशासनिक भवन कक्ष सं0–115 में दिनांक 31.01.2023 तक जमा करना सुनिश्चित करें।

(संजय कुमार दिवाकर)
संयुक्त कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति महोदय।
2. कुलसचिव महोदय।
3. सहायक कुलसचिव।
4. विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से विद्यार्थियों को सूचित किया जाना।

Sanjay

(संजय कुमार दिवाकर)
संयुक्त कुलसचिव